का॰ ज्ञा॰ सं॰ I/20012/09/2004-रा॰ भा॰ (नीति-1), दिनांक 7.4.2005

विषय: सभी कंपनियों/निकायों/उपक्रमों आदि के भारतीय नाम रखना और पंजीकृत कराया जाना।

संसदीय राजभाषा समिति ने अपने प्रतिवेदन के छठे खंड में अन्य संस्तुतियों के साथ एक संस्तुति यह भी की है कि सभी कम्पनियों/निकायों, उपक्रमों, प्राधिकारियों आदि के भारतीय नाम रखे जाएं और उन्हें पंजीकृत कराया जाए। संस्तुति पर राजभाषा विभाग के दिनांक 17.9.2004 के संकल्प सं॰ 12021/02/2003-रा॰भा॰ (का॰-2) के तहत निम्नलिखित आदेश जारी हुए:-

> "इस बारे में निदेश पहले से ही विद्यमान है कि केंद्रीय सरकार के कार्यालयों/संस्थानों के नाम हिंदी अथवा भारतीय भाषाओं में दिए जाएं। इन निदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन सुनिश्ति करवाने हेतु राजभाषा विभाग द्वारा इन आदेशों की पुनरावृति की जाए।"

2. इस संदर्भ में राजभाषा विभाग के आदेश का॰ज्ञा॰ सं॰ I/14013/14/87-रा॰भा॰ (क-1) दिनांक 5.1.1988 के तहत पूर्व में भी जारी किए गए थे। भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों से पुन: अनुरोध है कि वे केंद्र सरकार के सभी कम्पनियों/निकायों, उपक्रमों, प्राधिकरणों आदि के भारतीय नाम रखे तथा उन्हें हिंदी में लिखें।